UPBJ010050532026

न्यायालय अपर जिला जज, कोर्ट नं0–1, बिजनौर।

पीठासीन अधिकारी– (प्रशांत मित्तल), (उच्चतर न्यायिक सेवा)- UP06174

दीवानी अपील संख्या– 55/2026

शौकत अली खां आदि **बनाम** इकबाल खां आदि

दिनाँक 20–07–2026

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर उभय पक्ष मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हैं। अपीलार्थीगण की ओर से प्रार्थनापत्र कागज सं0 ग–23 प्रस्तुत किया गया। उभय पक्षों को प्रार्थनापत्र कागज सं0 ग–23 पर सुना गया।

अपीलार्थीगण लियाकत अली आदि की ओर से प्रार्थनापत्र कागज सं0 ग–23 इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि अपील हाजा में अपीलांट का रैस्पो सं0–2 सलीम खां व रैस्पो0 सं0 3 नईम खां से तसफीया हो गया है। उक्त रिहायशी हवेली जिसका विवरण मूल वादपत्र के अन्त में दिया गया है, के मालिक व काबिज अब्दुल अली खां थे, उनके कोई औलाद नहीं थी, उनके द्वारा उक्त मकान का हिबे अपनी पत्नी स्व0 छीमा के भतीजे रैस्पो0 सं0–2 सलीम खां एवं रैस्पो0 सं0–3 नईम खां के हक में कर दिया था और वही हिबे जुबानी अक्टूबर, 1997 से उक्त हिबे को कबल व मंजूर कर उक्त रिहायशी मकान के मालिक एवं काबिज चले आ रहे हैं। उक्त हिबे की पुष्टी न्यायालय सिविल जज जू0डि0 नजीबाबाद से निर्णीत वाद सं0 99/1998 सलीम खां आदि बनाम अब्दुल अली खां, जिसमें हिबेकर्ता अब्दुल अली खां स्वयं प्रतिवादी थे, में हुए तसफीये दिनांक 28–04–1998 के आधार पर पारित डिग्री दिनांक 12–05–1998 से हुई। टैक्स असेसमेन्ट भी रैस्पां0–2 व 3 के नाम चला आता है। अपीलांट द्वारा उक्त समस्त दस्तावेजों की जांच कर ली है। अपीलांट का कोई ताल्लुक वास्ता विवादित सम्पत्ति से नहीं है। अपीलांट की गलतफहमी दूर हो गयी है। अपीलांट उक्त सम्पत्ति में भविष्य में भी कोई क्लेम नहीं करेंगे। आपसी सहमति के तहत रैस्पां0 सं0 2 व 3 ने अपीलांटस को उक्त वाद सं0 304/2001 में वादी अपीलांट के आये खर्च एवं उसके पश्चात् अपील में आये खर्च आदि की एवज में सहमति के अनुसार चार लाख रुपये अपीलांट को अदा कर दिये हैं। अपीलांट विवादित सम्पत्ति में मिलकियत रैस्पो0 सं0 2 व 3 सलीम खां व नईम खां स्वीकार करते हैं और भविष्य में कोई क्लेम उक्त सम्पत्ति में नहीं करेंगे और अपील को नोट प्रैस कर निरस्त करा रहे हैं। अतः उक्त आधार पर उपरोक्त अपील को नोट प्रैस किये जाने के आधार पर निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

प्रार्थनापत्र के साथ अपीलार्थीगण के शपथपत्र दाखिल किये गये हैं।

Digitally signed by PRASHANT MITTAL
Date: 2026.07.20 16:55:37 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

रैस्पोडेन्टस की ओर से उक्त प्रार्थनापत्र पर कोई आपत्ति नहीं की गयी है तथा अपील को निस्तारित कर दिये जाने का कथन किया गया है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील आदेश दिनांकित 24–02–2025 के विरुद्ध योजित की गयी है, जिसके द्वारा विचारण न्यायालय ने दावा वादीगण खारिज किया गया। अपीलार्थीगण द्वारा प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि उपरोक्त अपील में अपीलार्थीगण तथा विपक्षीगण सं0 2 व 3 के मध्य समझौता हो गया है। अपील को नोट प्रैस के आधार पर निर्णीत किये जाने की याचना की गयी है। चूंकि उभय पक्षों में समझौता हो चुका है और अपीलार्थीगण अपनी अपील आगे अग्रसारित नहीं कराना चाहते हैं। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये, अपीलार्थीगण का प्रार्थनापत्र ग–23 स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थनापत्र ग–23 स्वीकार किया जाता है। उपरोक्त अपील प्रार्थनापत्र ग–23 के आलोक में खारिज की जाती है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(प्रशांत मित्तल)
अपर जिला जज, कोर्ट नं0–1,
बिजनौर।